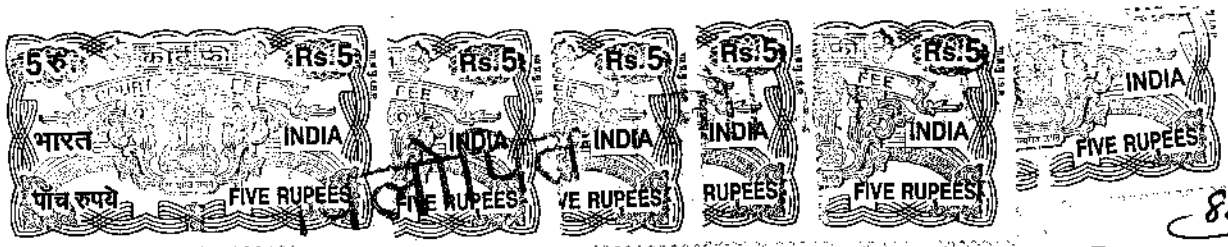

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /2016 निगरानी

श्रीमती सावित्री देवी पत्नि स्व0 रघुनाथ

जाति लोधी निवासी ग्राम भदर्रा

तहसील नौगॉव जिला छतरपुर,म0प्र0 --आवेदिका

विरूद्ध

1– तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर छतरपुर --- असल अनावेदकगण

3– बृजलाल काछी पुत्र मनमोहन काछी
ग्राम भदर्रा तहसील नौगॉव जिला छतरपुर -- तरतीवी अनावेदक

(निगरानी – तहसीलदार तहसील नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 06/अ–3/2013/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10–3–2015 के विरूद्ध – अंतर्गत धारा–50 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959)

कृ0पृ0उ0---2

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1241 – II /2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
25.4.16	यह निगरानी तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 06/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10–3–15 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ विद्वान अभिभाषकों के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदिका के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम भदर्रा स्थित भूमि सर्वे कमांक 560 का रकबा विवादित है क्योंकि इस सर्वे नंबर के खातेदारों की भूमियों का नक्शे में कुछ खातेदारों की भूमि उपखंडों में विभाजित होकर नक्शे में काली स्याही से चिन्हॉकित है परन्तु कुछ खातेदारों की भूमि के सीमा–चिन्ह चिन्हॉकित नहीं है। फलतः पटवारी हलका नंबर 9 ने राजस्व निरीक्षक को प्रतिवेदन दिनांक 27–1–14 प्रस्तुत कर इस प्रकार बताया है :– **" ग्राम भदर्रा स्थित भूमि खसरा कमांक 560 जिसमें कमशः 560/1, 560/2, 560/3, 560/4,560/5,560/6 बटांक राजस्व अभिलेख में दर्ज है एंव उक्त खसरा नंबरों की तरमीम पूर्व में की जा चुकी है एंव नक्शा शीट में पक्की काली स्याही से दर्ज है। वर्तमान चालू नक्शा शीट में ख0नं0 560/1, 560/2, 560/4,560/5 की तरमीम है परन्तु 560/3 एंव 560/6 नक्शा शीट में नहीं डले है जिस तरह की तरमीम नक्शा शीट में डली हुई है उस हिसाब से मौका स्थल पर आवेदक एंव अन्य कृषक काविज नहीं है उक्त पूर्ववत तरमीम को निरस्त करने के उपरांत ही नवीन तरमीम डाली जा सकती है।"** हलका पटवारी की इसी टीप को राजस्व निरीक्षक ने तहसलीदार नौगॉव को पत्र दिनांक 17–11–14 से अग्रेषित करने पर तहसीलदार नौगॉव ने हितबद्व पक्षकारों को सूचना	

R 1241. A/16

दिये बिना प्रकरण कमांक 06/अ-3/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-3-15 से नक्शा चिन्ह पुख्ता करने के राजस्व निरीक्षक को आदेश दिये हैं।

4/ आवेदिका के अभिभाषक के अनुसार तहसीलदार ने पक्षकारों को बिना सूचना दिये बिना नक्शा सॅशोधन के आदेश दिये है जो उनके अधिकार क्षेत्र के वाहर हैं। विचार योग्य है कि क्या पक्षकार को सूचना दिये बिना उसके मौके पर काविज अनुसार भूमि के नक्शे को भिन्न स्थल पर पूर्व से पक्की स्याही से निर्मित नक्शे को तहसीलदार दुरुस्त करने हेतु सक्षम हैं ?

1. पक्षकारों को सूचना दिये बिना उनके हित /अहित में पारित राजस्व अधिकारी का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
2. मौके पर काविज अनुसार भूमि को नक्शे में बिना स्थल मुआयना किये एंव पक्षकार की भूमि चिन्हांकित किये बिना नक्शा दुरुस्त करना न्यायिक प्रकिया के विपरीत है।
3. पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार चालू नक्शा शीट में ख0नं0 560/1, 560/2, 560/4,560/5 की भूमि पक्की काली स्याही से तरमीम है ऐसे नक्शे में फेरबदल करने अथवा नक्शा सॅशोधन करने की शक्तियॉ तहसीलदार को नहीं हैं अपितु ऐसा नक्शा बंदोवस्त समाप्ति उपरांत समय-समय पर कलेक्टर व्दारा संहिता की धारा 107 के अंतर्गत सॅशोधित किया जावेगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 06/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 10-3-15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण कलेक्टर छतरपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों के मॉग आवेदन प्राप्त होने पर अधीक्षक भू अभिलेख से स्थल पैमायश कराते हुये संहिता की धारा 107 के अंतर्गत पुनः विधिवत् कार्यवाही अमल में लाई जावे।

सदस्य